प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 14 दिसम्बर, 2017**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय के अनावासीय/आवासीय एवं समबद्ध भवनों के निर्माण तथा वाह्य स्थल विकास सम्बन्धी कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-544/ई/यूपीयूएमएस/कुलसचिव/2017-18, दिनांक 04 मई, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय के अनावासीय/आवासीय एवं समबद्ध भवनों के निर्माण तथा वाह्य स्थल विकास सम्बन्धी कार्यो हेतु शासनादेश संख्या-16/71-2-2013-एस-23/2006, दिनांक 09 जनवरी, 2013 द्वारा रू0 17207.88 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से अबतक कुल रू0 16347.48 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी हैः-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	3248/71-3-06-एस-23/2006, दिनांक 28-7-2006	5784.02
2	1216/71-3-07-एस-23/2006, दिनांक 02-4-2007	3333.32
3	613/71-3-08-एस-23/2006, दिनांक 13-3-2008	66.68
4	1411/71-3-08-एस-23/2006, दिनांक 03-6-2008	3400.00
5	1249/71-3-09-एस-23/2006, दिनांक 31-3-2009	643.43
6	1710/71-2-2012-एस-23/2006, दिनांक 19-7-2012	1000.00
7	480/71-2-2013-एस-23/2006, दिनांक 26-2-2013	828.63
8	1412/71-2-2013-एस-23/2006, दिनांक 15-5-2013	1291.40
	योग-	**16347.48**

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय के अनावासीय/आवासीय एवं समबद्ध भवनों के निर्माण तथा वाह्य स्थल विकास सम्बन्धी कार्या हेतु रू0 06,25,00,000/- (रूपया छः करोड पचीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी वि0वि0 की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) वि0वि0 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद में किया जायेगा। वि0वि0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानो को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तदायित्व वि0वि0 /कार्यदायी संस्था का होगा।

5) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा। ई परियोजना पोर्टल पर परियोजना का माइलस्टोन एवं कार्यो के फोटोग्राफ अपलोड किया जाय सुनिश्चत किया जायेगा

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-08-रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च सैफई इटावा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 86/2017/1602(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3) कोषाधिकारी, इटावा ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
6) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ/इटावा।
7) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) नोडल अधिकारी, ई परियोजना चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।